

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-924/19/ दिनांक:-

आदेश

श्री संतोष कुमार, नर्स-2, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजाखेडा, जिला-धौलपुर का स्वयं की बीमारी का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर निम्न प्रकार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 02.05.18 से 05.07.18 तक - 65 दिवस (परिवर्तित अवकाश)
2. दिनांक 06.07.18 से 20.09.18 तक - 77 दिवस (उपार्जित अवकाश)



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/एस-924/19/ 67
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 17-01-19

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजाखेडा, धौलपुर।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/सक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।